सत्यमेव जयते

TAAL
ताल
टुवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग

U N
D P
Empowered lives.
Resilient nations.

कैसे होता है न्याय?

न्यायालय की प्रक्रिया पर केन्द्रित पुस्तिका

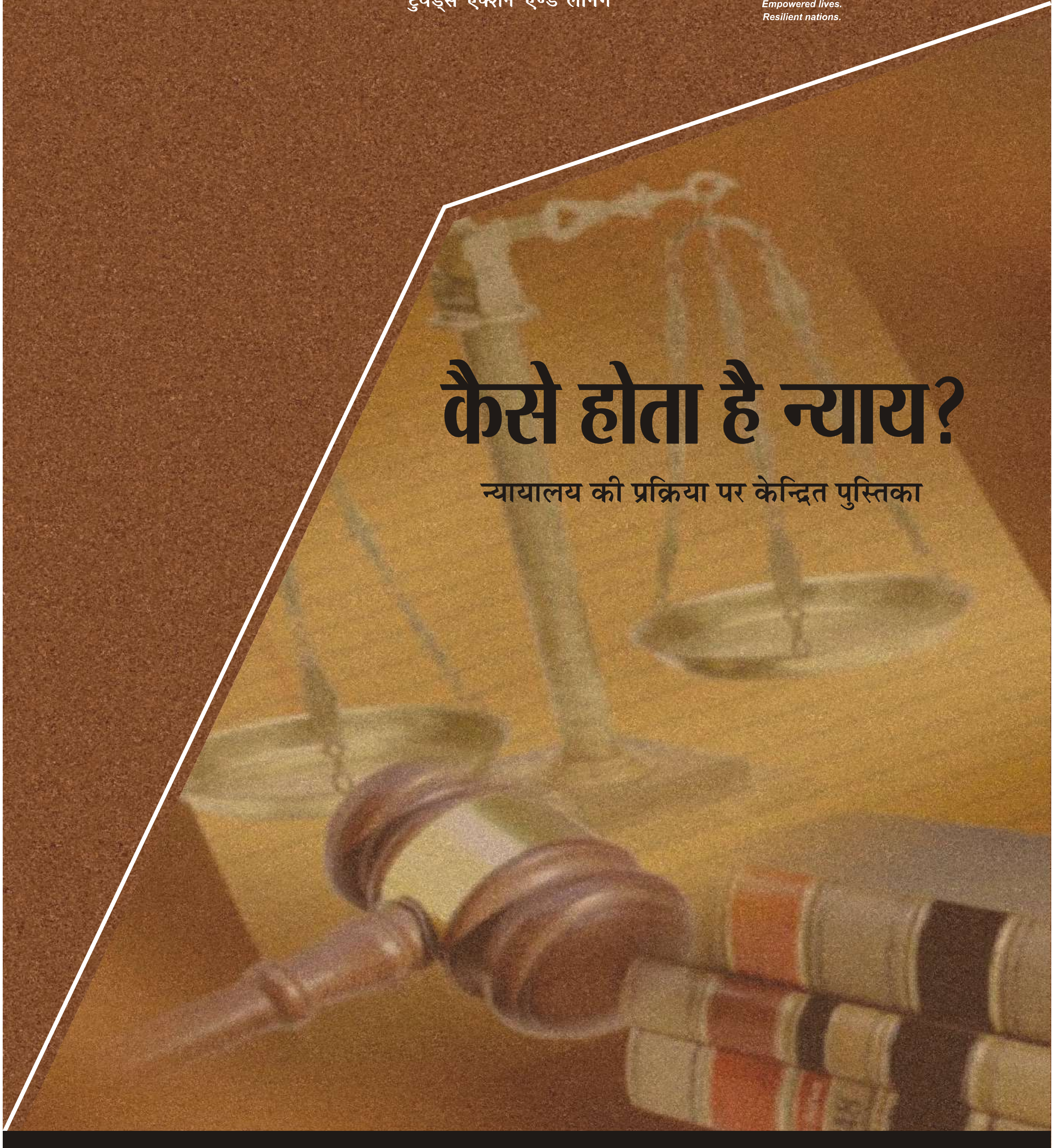

''जानकारी से सशक्तिकरण''

टूवर्डस एक्शन एण्ड लर्निंग (ताल) का यह मानना है कि सशक्त समाज के निर्माण की नींव जानकारी पर आधारित होती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि जानकारी सही हो, पूरी हो और एक ऐसे तरीके से दी जाये जो सरल हो और समुदाय को आसानी से समझ में आ जाये। इसी अवधारणा के अन्तर्गत ताल द्वारा जानकारी से सशक्तिकरण नाम से कार्यक्रम शुरु किया गया है।

जानकारी से सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्य रुप से समुदायों के गरीब और वंचित वर्ग को लक्षित करता है और अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों के माध्यम से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयासरत है :

- सरल भाषा और सहज रुप में जानकारी को उपलब्ध करवाना।
- सूचना तकनीकि की वजह से हो रही असमानताओं को पाटने के लिये क्षमता वर्धन करना।
- जानकारी के श्रोतों तक समूहों और समुदायों की पहुँच बढ़ाना।
- जानकारी का उपयोग समझ बनाने में, सीख सृजित करने में और जानकारियों को आगे प्रसारित करने के तरीकों का विकास।

जानकारी से सशक्तिकरण कार्यक्रम ताल द्वारा विकसित रणनीति का अहम् हिस्सा है। यह ताल के सभी कार्यक्रमों एवं हसतक्षेपों की प्रक्रियाओं में पूर्णतः समन्वित है।

कैसे होता है न्याय ?

न्यायालय की प्रक्रिया पर केन्द्रित पुस्तिका

ताल संस्था, भोपाल

सत्यमेव जयते

TAAL ताल
टुवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

कैसे होता है न्याय?

न्यायालय की प्रक्रिया पर केन्द्रित पुस्तिका

लेखन

राजेन्द्र बंधु

तकनीकी परामर्श

श्याम पाटीदार, एडवोकेट

मोहन पांचाल, एडवोकेट

मार्गदर्शन एवं अवधारणा

चित्रा खन्ना

Disclaimer : The views in the publication are those of the authors' and do not necessarily reflect those of either the Government of India or the United Nations Development Programme.

For accuracy of the legal information provided in this Handbook/manual/ module, please read the original Act/Scheme .

Copyright © GoI and UNDP India 2011. The report can be reproduced in whole or part with relevant acknowledgement to UNDP and the authors in the following manner : TAAL, 2011, Published by GoI and UNDP.

अपनी बात

पुराने जमाने में न्याय के लिए कोई अलग व विशेष व्यवस्था नहीं होती थीं। राजा और उसके दरबारी ही अपने दरबार में न्याय करते थे। उस व्यवस्था में समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय करने वालों तक पहुंचना मुश्किल होता था। अत: लोकतांत्रिक शासन में ऐसी व्यवस्था कायम की गई जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति न्याय तक पहुंच सके और न्याय प्राप्त कर सके।

आजादी के बाद भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत की शासन व्यवस्था की खास बात यह है कि इसमें सरकार चलाने वाले सभी हिस्सों की भूमिका अच्छी तरह स्पष्ट की गई हैं। इसके अंतर्गत यहां शासन के तीन हिस्से बनाए गए है, एक व्यवस्थापिका, यानी लोगों के वोट से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि, जिन पर कानून और नीतियां बनाने की जिम्मदारी है, दूसरा कार्यपालिका, यानी प्रशासन तंत्र, जिन्हें कानून और नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौपी गई है और तीसरा न्यायपालिका, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर न्याय करती है।

भारत में न्याय पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसके लिए नीचे से ऊपर तक कई न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये न्यायालय तहसील से लेकर जिला और प्रदेश व देश के स्तर तक कायम है। इस न्याय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि लोगों को बगैर खर्च के या कम से कम खर्च के आसानी से न्याय मिल सके। यही कारण है कि न्याय पाने के लिए किसी भी तरह के मामलों की सुनवाई सबसे पहले निचली अदालत यानी तहसील स्तर पर स्थापित की गई अदालतों में की जाती है और पीड़ितों को कई तरह की सुविधाएं देने का भी प्रावधान है। किन्तु जानकारियों के अभाव में कई लोग उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और न्याय प्रक्रिया में वे इतने उलझ जाते हैं कि अदालत की कार्यवाही उन्हें बोझ लगने लगती है। यह देखा गया है कि कई लोगों को न्याय पाने के लिए अनावश्यक खर्च करना पड़ता है और उन्हें न्याय मिलने में समय भी अधिक लगता है।

न्याय तक लोगों की पहुंच बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसकी प्रक्रियाओं की जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाई जाए। न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में ''दंड प्रक्रिया संहिता'' और ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' के नाम से कानून बनाए गए हैं, किन्तु भाषा की जटिलता के कारण उन्हें समझ पाना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन होता है। अत: न्यायिक प्रक्रिया को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इस पुस्तिका में किया गया है। आपराधिक और सिविल दोनों तरह के मामलों में न्याय पाने के लिए किन न्यायालयों में जाना पड़ता है? वहां सुनवाई की प्रक्रिया क्या होती है? न्यायाधीश से लेकर वकील और लोक अभियोजक आदि की क्या भूमिका होती है? इन सब बातों को इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। इस पुस्तिका में दी गई तकनीकी जानकारियां दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर आधारित है।

उम्मीद है सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन समुदाय तक न्याय प्रक्रिया की जानकारियां प्रसारित करने में यह पुस्तिका उपयोगी होगी।

ताल सस्था की ओर से

अनुक्रमणिका

क्र.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1.	मामलो के प्रकार और उनकी समझ	1
2.	कितने तरह के न्यायालय?	3
3.	न्याय प्रक्रिया से जुड़ी कुछ बातें	7
4.	कैसे होती है न्यायालय की कार्यवाही	13
5.	दीवानी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया	20

बॉक्स

आरोपी द्वारा वकील नियुक्त करना	12
लोक अभियोजक	14
समन क्या है?	15
कानूनी सहायता	16
आपराधिक मामलों मे न्यायिक प्रक्रिया : एक नजर में	18
सिविल मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रमुख चरण	25

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1	आपराधिक एवं सिविल मामले के प्रमुख बिन्दु	26
परिशिष्ट – 2	न्यायालय संबंधी कार्यों में प्रचलित प्रमुख शब्दावलियां	27
परिशिष्ट – 3	वाद पत्र का प्रारूप	28
परिशिष्ट – 4	न्यायालय परिसर	31

अध्याय - 1

मामलों के प्रकार और उनकी समझ

न्याय के लिए अदालत में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले उन मामलों को समझना जरूरी है, जिनकी सुनवाई न्यायालय में होती है। न्यायालय में चलने वाले सभी मामलों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है, एक आपराधिक मामले, जिन्हें दाण्डिक मामले भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इन मामलों को हम फौजदारी मामलों के नाम से जानते हैं। दूसरे सिविल मामले, जिन्हें हम दीवानी मामलों के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही प्रकार के मामलो में न्याय पाने के लिए थोड़ी अलग–अलग प्रक्रिया होती है।

आपराधिक मामले

यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराधियों को दण्ड देने और पीड़ितों को न्याय दिलवाने के तरीकों (प्रक्रियाओं) के लिए एक कानून बनाया गया है, जिससे ''दंड प्रक्रिया संहिता 1973'' के नाम से जाना जाता है। किस तरह के अपराध के लिए किस तरह का दण्ड दिया जाएगा, यह तय करने के लिए ''भारतीय दण्ड संहिता 1860'' के नाम से कानून बनाया गया है। यानी न्याय करने के तरीके ''दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973'' में दिए गए हैं। यदि किसी आरोपी पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश द्वारा ''भारतीय दण्ड संहिता 1860'' के अनुसार उसे दंड दिया जाता है।

अपराधों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जमानतीय अपराध और दूसरा गैरजमानतीय अपराध। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस ही अपराधी को जमानत पर छोड़ देती है, उन्हें जमानतीय अपराध कहा जाता है। जबकि गंभीर मामलों में पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है, उन्हें गैरजमानतीय मामले कहा जाता है। इन मामलों में न्यायालय से ही जमानत करवानी पड़ती है। धमकी, मारपीट जैसे अपराधों को जमानतीय अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि हत्या, डकैती, लूटपाट जैसे अपराधों को अजमानीय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है।

इसी तरह अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय दो प्रकारों में भी बांटा गया है। आमतौर पर ज्यादातर जमानतीय अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते है, जबकि अजमानतीय और गंभीर किस्म कें अपराध असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते है।

आपराधिक मामलों में (कुछ मामलों जैसे सामान्य मारपीट, धमकी, आदि को छोड़कर) आमतौर पर किसी प्रकार का राजीनामा नहीं होता। जिसके साथ अन्याय या अत्याचार हुआ हे, यदि वह आरोपी को सजा दिलवाना नहीं चाहता हो, फिर भी आरोपी पर मुकदमा चलेगा। इस तरह के मामलों में सरकार द्वारा नियुक्त वकील पैरवी करते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति को अपना वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती हैं।

सिविल (दीवानी) मामले

सिविल (दीवानी) मामले आपराधिक मामलों से अलग होते हैं। इसके अंतर्गत चल–अचल सम्पत्ति, बीमा, वैवाहिक जीवन, किसी समझौते को तोड़ना, भागीदारी, अंशदान, किराया, बिल भुगतान, कर्ज आदि से संबंधित मामले आते हैं। इन मामलों में जिस व्यक्ति को हानि हो रही है वह अदालत में उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लगा सकता है और उससे हानि की भरपाई करवा सकता है, जिससे उसे हानि हुई है। इस तरह के मामलों में यदि दोनों पक्ष चाहे तो आपस में राजीनामा कर सकते हैं।

अध्याय - 2

कितने तरह के न्यायालय?

आपराधिक मामलों में न्याय की प्रक्रिया पुलिस थाने में एफ.आई.आर. यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने के बाद शुरू होती हैं। कहीं भी कोई अपराध होता है, तो अपराधी को दण्ड दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर पुलिस थानों की स्थापना की गई हैं। प्रत्येक गांव, शहर या मोहल्ले को किसी न किसी पुलिस थाने में शामिल किया गया है।

अपराधिक (फौजदारी) मामलों में नीचे के स्तर से लेकर देश के स्तर तक कई न्यायालय होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 से 11 तक न्यायालयों का क्षेत्र और धारा 28 एवं 29 में दण्ड देने के अधिकार तय किया गया है। ये न्यायालय कहां स्थित होते हैं? किस न्यायालय की क्या भूमिका है? इन सवालों के उत्तर आगे दिए गए हैं।

1. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए यह पहला न्यायालय माना जाता है। इस न्यायालय का क्षेत्र पुलिस थाना अनुसार बंटा होता है और ये तहसील मुख्यालय में स्थित होते हैं। इसमें ऐसे अपराधों की सुनवाई होती हैं जिनमें 3 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। यानी इस न्यायालय को तीन साल तक के कारावास दस हजार रूपए तक के जुर्माने की सजा देने का अधिकार

है– दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29(2)। पुलिस थाने में आपराधिक मामलों की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस द्वारा सबसे पहले इसी न्यायालय में मामले को पेश किया जाता है। इस न्यायालय में कार्यरत् न्यायाधीश यह देखते हैं कि मामला किस तरह का है। यदि मामला गंभीर है और अधिक सजा से संबंधित है तो वे मामला सत्र न्यायालय को भेज देते हैं।

2. न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की तरह ही न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी के न्यायालय भी एक जिले में कई होते हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी (द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय) को 1 वर्ष तक के कारावास और पांच हजार रूपए तक जुर्माने का दण्ड देने का अधिकार है।–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29(3)।

3. सत्र न्यायालय

यह न्यायालय आमतौर पर जिला मुख्यालय में होता है। इस न्यायालय मे सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा देने का अधिकार असीमित है। यानी भारतीय दण्ड संहिता में अपराधों के लिए दिए गए सजा के प्रावधान के अनुसार वह सजा दे सकता है, जो आजीवन कारावास व मृत्यु दण्ड तक हो सकती है। किन्तुं मृत्य दण्ड के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यानी सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्यु दण्ड तभी दिया जा सकता है, जब उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि कर दी गई हो।(दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 28)।

4. अतिरिक्त सत्र न्यायालय

अतिरिक्त सत्र न्यायालय को सत्र न्यायालय के बराबर अधिकार प्राप्त है। कार्यभार ज्यादा होने के कारण सत्र न्यायाधीश अपने अधीनस्थ अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला सुनवाई हेतु भेज सकते हैं। इन न्यायालयों में ऐसे अपराध की सुनवाई की जाती है जिनमें आरोपी को 3 साल से अधिक के कारावास की सजा देने का प्रावधान है। जिले में एक सत्र न्यायाधीश का पद होता है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी होते हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा जो मामले सत्र न्यायालय को भेजे जाते हैं, सत्र न्यायालय उन मामलों को अतिरिक्त सत्र न्यायालय को भेज सकता हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एक जिले में एक से अधिक संख्या में होते है और इस तरह के कुछ न्यायालय जिला मुख्यालय से सुदूर तहसील मुख्यालय पर भी स्थापित किए गए हैं, ताकि दूरदराज के लोगों को इन न्यायालयों तक पहुंचने में सुविधा हो सकें।

5. विशेष न्यायालय

कुछ खास मामलों के लिए जिला स्तर पर विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उन न्यायालयों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है। कुछ समुदाय विशेष या लोगों पर होने वाले अत्याचारों पर पीड़ितों को समय पर न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन न्यायालयों की स्थापना की गई हैं। मध्यप्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की सुनवाई करने के लिए जिला स्तर पर विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों के लिए भी विशेष न्यायालय मौजूद है, वहीं पारिवारिक मामलों के लिए ''परिवार या कुटुम्ब न्यायालय'' मौजूद हैं। सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले जो मामले इन विशेष मुद्दों से संबंधित होते हैं, सत्र न्यायाधीश द्वारा उन मामलों को इन अदालतों में भेज दिया जाता है।

6. उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। एक प्रदेश में एक उच्च न्यायालय होता है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थित है। जबकि इन्दौर एवं ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ है।

किसी भी तरह के अपराधिक मामले की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में नहीं की जाती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसलों से यदि कोई संतुष्ट नहीं हो तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता हैं। उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि उस अपील को स्वीकार किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय (सत्र न्यायालय) द्वारा दिया गया निर्णय सही है या गलत है, यह देखने के बाद अपना फैसला देंगे।

यदि सत्र न्यायालय द्वारा किसी आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है तो उस प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उस मामले का परीक्षण करने के बाद पुष्टि की जाती है। इस सजा को पाने वाले आरोपी द्वारा भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आरोपी द्वारा अपील नहीं करने पर भी उसे तब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं कर दी गई हो (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 28)।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने या किसी जनहित के मुद्दे पर सीधे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई जा सकती है।

7. सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह नईदिल्ली में स्थित है। किसी भी आपराधिक प्रकरण की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए

गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील कर सकता है, जिसे कानूनी भाषा में विशेष अनुमति याचिका या स्पेशल लिव प्रीटीशन कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह भी सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगा सकता है।

क्र.	न्यायालय	दण्ड देने की शक्तियां एवं अन्य जानकारियां
1.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	3 साल तक का कारावास एवं 10 हजार रूपए तक का जुर्माना की सजा दे सकते हैं।
2.	न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी	1 वर्ष तक का कारावास एवं 5 हजार रूपए तक के जुर्माना की सजा दे सकते हैं।
3.	सत्र न्यायालय	आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दण्ड तक की सजा दे सकते हैं। (मृत्यु दण्ड के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है)।
4.	अतिरिक्त सत्र न्यायालय	3 साल से अधिक के कारावास की सजा दे सकते हैं।
5.	उच्च न्यायालय	सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसलों से यदि कोई संतुष्ट नहीं हो तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता हैं। उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि उस अपील को स्वीकार किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय (सत्र न्यायालय) द्वारा दिया गया निर्णय सही है या गलत है, यह देखने के बाद अपना फैसला देंगे। सत्र न्यायानय द्वारा दिए गए मृत्य दण्ड के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
6.	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील कर सकता है, जिसे कानूनी भाषा में विशेष अनुमति याचिका या स्पेशल लिव प्रीटीशन कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह भी सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगा सकता है।

अध्याय - 3

न्याय प्रक्रिया से जुड़ी कुछ बातें

जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्याय पाने की शुरूआत पुलिस थाने में एफ.आई.आर लिखवाने के बाद शुरू होती हैं। पुलिस का काम घटना की रिपोर्ट लिखना, आरोपियो को गिरफ्तार करना, घटना की जांच करके उससे संबंधित सबूत जुटाना और उनका विवरण न्यायालय में प्रस्तुत करना है। पुलिस का काम न्याय करना नहीं है। न्याय करने का काम न्यायालय का है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अपराधों को जब तक न्यायालय में साबित नहीं कर दिया जाता, उसे अपराधी नहीं माना जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति का मुकदमा अदालत में चल रहा हो उसे अपराधी शब्द से संबोधित नहीं किया जाता, बल्कि उसे ''आरोपी'' शब्द से संबोधित किया जाता है। आरोपी को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त सबूतों का होना जरूरी है।

सबूत और गवाह

न्याय हमेशा सबूतों और गवाहों पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसके अपराधों को साबित करने की जिम्मेदारी पीड़ित एवं पुलिस की होती है और खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। आरोपी अपने बचाव में लिए गवाह प्रस्तुत कर सकता हैं, जिन्हें बचाव साक्षी कहा जाता है।

सबूत

न्याय पाने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। किसी अपराध को साबित करने या आरोपी द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिए विभिन्न तरह के सबूत जुटाए जाते हैं और उन्हें अदालत में पेश किए जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए सबूत जुटाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। यदि सबूत ठीक से नहीं जुटाए गए तो न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस द्वारा सबूत जुटाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जो इस प्रकार है :–

1. **मेडिकल रिपोर्ट** : यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध हुआ हो, जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंची है तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से उसकी जांच करवाई जाती है। उस जांच से पता चलता है कि पीड़ित को किस तरह की चोंटें हैं और उसके लिए किस तरह के हथियारों का उपयोग किया गया। यह ध्यान रखने वाली बात है कि पीड़ित द्वारा मेडिकल जांच अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर से नहीं करवाई जा सकती, बल्कि इसके लिए अस्पताल निर्धारित किए गए हैं। खास बात यह है कि मेडिकल जांच घटना के तुरन्त बाद ही करवाई जानी चाहिए। मेडिकल जांच में देरी होने से डॉक्टर को कई बातों का पता नहीं चलता और आरोपी को बचने का अवसर मिल जाता है। मेडिकल जांच के समय एक पुलिसकर्मी को भी पीड़ित व्यक्ति के साथ भेजा जाता है। उसे पुलिस थाने से एक पत्र दिया जाता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति की मेडिकल जांच करने के लिए लिखा होता है। जब तक मेडिकल जांच चलती है, तब तक पुलिसकर्मी को अस्पताल में ही उपस्थित रहना होता है। मेडिकल जांच के साथ ही यदि पीड़ित को इलाज की जरूरत हो तो अस्पताल में उसका मुफ्त इलाज किया जाता है। मेडिकल जांच करने के बाद अस्पताल की ओर से उसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को भेज दी जाती है। यदि पीड़ित व्यक्ति, उसके परिजन या उसका वकील मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना चाहे तो वह पुलिस थाने में एक आवेदन देकर मुफ्त में रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर मेडिकल जांच पीड़ित की करवाई जाती है। किन्तु बलात्कार जैसे मामलों में पीड़ित के साथ–साथ आरोपी की भी मेडिकल जांच करवाई जाती है। इसके अंतर्गत पीड़ित के कपड़ों पर लगे निशान और आरोपी के वीर्य की जांच से भी उसके अपराधी होने या न होने का पता लगाया जाता है, साथ ही आरोपी के शरीर पर आए खरोचों व चोंटों के निशान से यह सबूत भी मिलता है कि पीड़ित द्वारा अपने बचाव की कोशिश की गई थी। इस प्रकार आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़ित को न्याय दिलवाने में सबूत के तौर पर उपयोग की जाती है। इसी के साथ ही अन्य मामलों में जहां पुलिस को लगता है कि आरोपी की मेडिकल जांच से आरोप साबित करने में मदद मिलेगी वहां पुलिस आरोपी की मेडिकल जांच करवा सकती है।

2. **पोस्टमार्टम रिपोर्ट** : किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके शव की जांच को पोस्टमॉर्टम कहा जाता है। एफ.आई.आर होने के बाद पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर अलग–अलग एंगल से उसके फोटो निकाले जाते है। उन फोटो को भी सबूत के तौर पर उपयोग किया जाता है। फोटो

निकलाने के बाद शव को अस्पताल भेजा जाता है, जहां डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाता है। इससे मृत्यु के कारणो का पता चलता है। पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवार वालों को सौप दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद अस्पताल की ओर से उसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को भेज दी जाती है। यदि पीड़ित व्यक्ति, उसके परिजन या उसका वकील पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त करना चाहे तो वह पुलिस थाने में एक आवेदन देकर मुफ्त में रिपोर्ट प्राप्त कर सकते है।

3. **सामान बरामद करना** : अपराध करते समय उपयोग किया गया सामान भी सबूत के रूप में काम में आता है। इसलिए उन सभी सामानों को जब्त कर उन्हें सील करके पुलिस थाने में रखा जाता है। इसके अंतर्गत कपड़े, हथियार, कोई पत्र या दस्तावेज किसी भी तरह का सामान हो सकता है, जिसके बारे में पुलिस को यह महसूस हो कि उनका उपयोग अपराध करते समय किया गया है। किसी भी प्रकार का सामान जब्त करते समय उसकी सूची बनाई जाती है और पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा का मतलब यह है कि वहां उपस्थित लोगों के सामने सामान बरामद करने की प्रक्रिया लिखी जाती है और उस पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाते है। साथ ही जब्त किया गया सामान सीलबंद किया जाता है। जब्त किए सामान को परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। न्यायालय में जब मामला सुनावाई के लिए पेश किया जाता है प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट को सबूत के रूप में उपयोग किया जाता है।

इसी के साथ ही ऊंगलियों के निशान एवं अन्य कई प्रकार के सबूतों का उपयोग न्यायालय में किया जाता है।

मृत्युपूर्व कथन

घायल या बीमार अवस्था में किसी व्यक्ति के बयान लिए जाने के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्युपूर्व कथन कहा जाता है। इस प्रकार के बयान एफ.आई.आर. दर्ज होने के पहले भी लिए जा सकते हैं और उसके बाद में भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति पर कोई हमला होता है या किसी को आग में जला दिया जाता है और पुलिस को उसकी सूचना मिलती है तो पुलिस को तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचना होता है। यदि पुलिसकर्मियों को यह लगता है कि पीड़ित व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है तो वे एफ.आई.आर. लिखने से पहले उसका बयान ले सकते हैं।

एफ.आई.आर. लिखने के बाद पुलिस अनुसंधान अधिकारी (जो उस प्रकरण में जांच कर रहे हैं) द्वारा पीड़ित या प्रकरण से संबंधित किसी गवाह के बयान उसी स्थान (अस्पताल या उसके घर आदि) पर जाकर लिए जाते हैं जहां वह व्यक्ति उपलब्ध है।

इस तरह के कथन लेते समय उस व्यक्ति के परिजन (परिवार के लोग) वहां उपस्थित रह सकते हैं। किन्तु यदि बयान देने वाला व्यक्ति यह इच्छा जताता/जताती है कि वह उनमें से किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में बयान देगा/देगी तो उस व्यक्ति को पुलिस वहां से हटा सकती है।

इस तरह बयान देने के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्युपूर्व कथन कहा जाता है। न्यायालय में उन कथनों को प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय उन कथनों को उसकी गवाही व तथ्य के रूप में मानता है।

आत्महत्या वाले प्रकरणों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा यदि कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे भी आत्महत्या के कारणों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

गवाह

न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों का विशेष महत्व है। किसी भी तरह की घटना होने और आरोपी द्वारा अपराध किए जाने की बात गवाहों द्वारा बताई जाती है। वहीं आरोपी पर यदि झूठा आरोप लगाया है तो वह भी गवाहों के जरिये अपना बचाव करता है।

पीड़ित के कहे अनुसार पुलिस एफ आई आर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) लिखती है, जिसमें घटना घटित होने के समय घटना स्थल पर कौन–कौन मौजूद थे, उनके नाम भी लिखे जाते है। बाद में पुलिस उनसे घटना के बारे में पूछती है और उनके द्वारा कही गई बातों को लिखती है। पुलिस उनके नाम गवाह के रूप में न्यायालय को बताती है। गवाहों को न्यायालय में जाकर अपनी बात कहनी होती है। इन गवाहों को न्यायालय द्वारा समन भेजकर बुलाया जाता है। यदि वे न्यायालय में नही आतें हैं तो वारंट जारी करके उन्हें न्यायालय में हाजिर होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि आरोपी की ओर से किसी गवाहों को बुलाया जाता है और वे अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उसके गवाहों को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118, 135 एवं 136)।

पुलिस रिमांड

अक्सर हम यह सुनते रहते हैं कि ''फलां आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।'' पुलिस रिमांड क्या होती है?इसका क्या उद्देश्य होता है और पुलिस रिमांड में क्या होता है तथा न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस रिमांड का क्या उपयोग है?न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए इन सवालों को भी समझना जरूरी है।

जब किसी आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय मे पेश करना होता है। उस समय न्यायालय के सामने दो विकल्प होते हैं या तो न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक उसे जेल भेज दे या उसके द्वारा जमानत की मांग करने पर वह उसे जमानत पर छोड़ दें। इसी दौरान यदि पुलिस को आरोपी से अपराध के बारे में कुछ पूछताछ करने की जरूरत हो तो वह आरोपी को रिमांड पर रखने का निवेदन अदालत से कर सकती हैं। अदालत चाहे तो एक निश्चित अवधि के

लिए अपराधी को पुलिस रिमांड पर भेज सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अनुसार अदालत किसी भी अपराधी को अधिक से अधिक 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज सकती है।

रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से अपराध और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करती है। वह उसे घटना स्थल पर भी ले जा सकती है रिमांड के दिनों में उसे पुलिस थाने में बंद करके रखा जाता है। आरोपी को रिमांड पर लेने का उद्देश्य उससे पूछताछ कर सबूत जुटाना होता है, ताकि अदालत में आरोपों को साबित किया जा सकें। कई बार यह कहा जाता है कि रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से जुर्म कबूल करवाती है। किन्तु कानून के अनुसार आरोपी द्वारा पुलिस के समक्ष जुर्म कबूल करने को न्याय का आधार नहीं माना जाता है। जब तक आरोपी न्यायालय में जुर्म कबूल नहीं कर लें, उसे खुद को निर्दोष साबित करने का अधिकार होता है। कानून के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी को शारीरिक यातना देने पर मनाही है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी की जमानत की अर्जी पर न्यायालय विचार कर सकता है या उसे जेल में भेज सकता है।

न्यायिक रिमांड

आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद यदि न्यायालय उसे जमानत पर नहीं छोड़ता है तो केस चलने तक उसे जेल भेज दिया जाता है। इसे न्यायिक रिमांड कहा जाता है। सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से न्यायालय ले जाया जाता है और सुनवाई खत्म होने के बाद उसे वापस जेल में भेज दिया जाता है। केस चलने तक आरोपी जितने दिनों तक जेल में रहेगा, यदि उसे कारावास की सजा मिलती है तो उनके द्वारा जेल में बिताए दिनों को सजा के दिनों मे से कम कर दिए जाएंगे।

जमानत

आपराधिक मामलों में ''जमानत'' शब्द अक्सर सुनने में आता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो न्यायालय में केस चलने तक उसे जेल में रहना होता है। आरोपी चाहे तो केस चलने की अवधि में जेल से बाहर भी रह सकता है, इसके लिए उसे जमानत लेनी पड़ती है।

जमानत का मतलब होता है एक तरह की गारंटी। आरोपी को जब भी न्यायालय में बुलाया जाएगा उसे न्यायालय में हाजिर होना होगा। आरोपी की ओर से उसकी जमानत उसके किसी परिचित या रिश्तेदार द्वारा ली जा सकता है। इसके लिए निश्चित मूल्य की सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यदि आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय जमानत देने वाले व्यक्ति यानी जमानतदार को सूचना पत्र का जारी कर आरोपी को अदालत में हाजिर करने के लिए कह सकता है। यदि जमानतदार उसे अदालत में हाजिर नहीं कर पाता है तो उसकी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है और आरोपी की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

जमानतीय अपराध

ऐसे अपराध जिनमें पुलिस द्वारा जमानत दी जा सकती है, उन्हे जमानतीय या असंज्ञेय अपराध कहते हैं। ये अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं। इस तरह के अपराधों में पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि जमानतीय अपराध में पुलिस द्वारा जमानत दे दी जाती है तो यह जमानत न्यायालय में चालान दाखिल करते समय तक ही प्रभावी होगी। चालान दाखिल करते समय आरोपी को न्यायालय से फिर जमानत लेनी पड़ती है।

गैर जमानतीय अपराध

अत्यन्त गंभीर प्रकृति के अपराधों को गैरजमानीय अपराध माना गया। इन्हें संज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। इस तरह के अपराधों में पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन अपराधों में पुलिस द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, बल्कि न्यायालय ही तय करता है कि उसे जमानत देनी है या नहीं। जमानत की अर्जी मिलने पर ओरोपी, आरोपी के वकील और लोक अभियोजक को अदालत में बुलाया जाएगा। इस दौरान पुलिस या लोक अभियोजक द्वारा आरोपी को जमानत देने पर आपत्ति जताई जा सकती है, किन्तु इसके लिए कारण बताना जरूरी हैं। आपत्ति जताने के बाद न्यायालय द्वारा जमानत देने या न देने का फैसला लिया जाएगा।

आरोपी द्वारा वकील नियुक्त करना

आरोपी को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अधिकार है और इसके लिए न्यायालय द्वारा उसे पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। आरोपी चाहे तो अदालत में अपना पक्ष करने यानी पैरवी करने के लिए अपना वकील नियुक्त कर सकात है। वकील नियुक्त करना अरोपी की इच्छा पर निर्भर करता है। आरोपी चाहे तो बगैर वकील से भी खुद अपने मामले की पैरवी कर सकता है।

आरोपी कभी भी अपना वकील नियुक्त कर सकता है। वह चाहे तो एफआईआर के तुरंत बाद अपना वकील नियुक्त कर सकता है या उसके बाद कभी भी। अदालत में मामलों के अनुसार अलग–अलग विशेषज्ञता एवं अनुभव वाले वकील होते हैं। आरोपी जिसे अपना वकील बनाना चाहते उसे लिखित में अधिकृत करना होता हैं। इसके लिए "वकील पत्र" को भरकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

यदि कोई व्यक्ति अदालत में चल रहा अपना केस नहीं जीत पाता है तो वह उसके लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

क्या वकील बदला जा सकता है?

यदि आरोपी अपने वकील के कामों से संतुष्ट नहीं है तो वह उस वकील को बदलकर नया वकील नियुक्त कर सकता है। इसके लिए उसे अपनी वकील से बात करनी होगी और उससे अनापत्ति पत्र लेना होगा।

आरोपी चाहे तो एक से अधिक वकील नियुक्त सकता है

आरोपी चाहे तो एक से अधिक वकील पैरवी के लिए नियुक्त कर सकता है। इसके लिए सभी वकीलों को अलग–अलग फीस देनी होगी।

कितनी फीस देनी होगी वकील को?

अदालत में वकीलों के काम–काज के संबंध में एक संस्था बनाई गई है, जिसे बार कौसिल कहते हैं। सभी वकील इसके सदस्य होते हैं। बार कौंसिल द्वारा वकीलों की फीस उनके काम व सुनवाई के अनुसार निर्धारित है। बार कौसिल से उसकी सूची लेकर उसके अनुसार वकील को फीस का भुगतान कर उनसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

अध्याय - 4

कैसे होती है न्यायालय की कार्यवाही?

1. पुलिस द्वारा चालान तैयार करना

किसी भी मामले को अदालत में पेश करने से पहले पुलिस द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे चालान व आरोप पत्र कहते हैं। इसमें अपराध की घटना, आरोपियों पर लगी धाराएं, आरोपियों के विवरण, सबूत, गवाह आदि की विस्तृत जानकारी होती है (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 211, 212, एवं 213) ।

चालान में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें होना जरूरी हैः–

1. अपराध का पूरा विवरण (अपराध किस तरह का है? कहां किया गया? कब किया गया? कैसे किया गया?)
2. आरोपियों का विवरण (आरोपियों की संख्या, नाम, पता, उम्र, समुदाय, आदि जानकारी)।
3. पीड़ितों का विवरण (पीड़ितों की संख्या, नाम, पता, उम्र, समुदाय आदि जानकारी)।
4. अपराध के कारण पीड़ितों को हुई क्षति का विवरण।
5. अपराध किस तरह किया गया? पुलिस द्वारा अपराध के बारे में की गई जांच (अनुसंधान) की रिपोर्ट।

6. अपराध से संबंधित धाराएं।
7. गवाहों का विवरण (गवाहों की संख्या, नाम, पता उम्र, समुदाय आदि जानकारी)।
8. मेडिकल रिपोर्ट (हिंसक घटना के संबंध में) या पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की दशा में)।
9. जब्त की गई सामग्री, जिन्हें विवरण सहित न्यायालय में पेश करना होती है।

लोक अभियोजक द्वारा चालान का परीक्षण

चालान तैयार करने के बाद पुलिस द्वारा लोक अभियोजक को परीक्षण हेतु दिया जाता है। लोक अभियोजक चालान (आरोप पत्र) का परीक्षण करते समय यह देखते हैं पुलिस द्वारा किस तरह की धाराएं लगाई गई और किस तरह के सबूत व दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।

न्यायालय में चालान पेश करना

लोक अभियोजक द्वारा चालान का परीक्षण करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। चालान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया जाता है। इस दौरान आरोपी को भी अदालत में हाजिर होना पड़ता है। यदि आरोपी पुलिस द्वारा दी गई जमानत पर हो तो उसे अदालत में हाजिर होकर फिर से जमानत लेनी होगी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी आरोप पत्र का परीक्षण कर यह देखेंगे कि यह केस किस अदालत में चलाया जा सकता है? यदि केस उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है यानी उसमें ऐसी धाराएं लगी है जिनसे आरोपी को तीन साल से अधिक सजा का प्रावधान है तो वह यह मामला सत्र न्यायालय में भेजेंगे।

सत्र न्यायालय चाहे तो खुद सुनवाई के लिए अपनी अदालत में रख सकते हैं या अतिरिक्त सत्र न्यायालय में भेज सकते है। यदि घटना किसी विशेष अदालत से संबंधित हो तो वहां भेज सकते हैं। इसके बाद न्यायालय द्वारा सुनवाई की तारीख तय की जाएगी ।

लोक अभियोजक

लोक अभियोजक को सामान्य बोलचाल की भाषा में **सरकारी वकील** कहा जाता है। आपराधिक मामलों में यह फरियादी यानी पीड़ित की तरफ से न्यायालय में पैरवी करता है। फरियादी को अलग से अपना वकील नियुक्त करने की जरूरत नहीं हैं। सरकारी वकील (लोक अभियोजक) द्वारा ही अदालत में उसका मुकदमा लड़ा जाएगा और इसके लिए फरियादी से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के अनुसार सरकार द्वारा न्यायालय के परामर्श से लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। लोक अभियोजक जिला न्यायालय एवं न्यायिक दण्डाधिकारी सहित सभी स्तर की अदालतों में नियुक्ति किए जाते हैं।

लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायाधीशों के परामर्श से लोक अभियोजक के योग्य वकीलों के नामों का एक पैनल बनाया जाता है। इन नामों की सूची राज्य सरकार के पास भेजी जाती है। राज्य सरकार उन्हीं में से किसी वकील को लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(5) के अनुसार राज्य सरकार इस पैनल से बाहर के वकील को लोक अभियोजक नियुक्त नहीं का सकती हैं।

न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 216 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय को अवश्यक लगे तो वह आरोप पत्र परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय को यदि यह विश्वास हो जाए कि कोई धाराए गलत लगाई गई तो वह उन्हें हटा सकता है या उसे लगे कि कुछ धाराए नहीं लगाई गई तो वह उन धाराओं को लगा भी सकता है।

यदि न्यायालय द्वारा आरोप में ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन तो आरोपी को पढकर सुनाया जाएगा–धारा 216(2)। यदि को यह महसूस हो कि आरोप में किया गया परिवर्तन ऐसा है, जिससे अभियुक्त को अपना वचाब करने में कठिनाई हो सकती वह उस मामले की नए सिरे से सुनवाई कर सकता है या सुनवाई को जितने अविध के लिए आवश्यक समझे, स्थिगित कर सकता है–धारा 216(4)।

यदि न्यायालय को यह लगे कि आरोप में किया जाने वाला परिवर्तन ऐसा है, जिसक लिए पीड़ित (अभियोजन) पक्ष की मंजूरी की आवश्यकता है तो उस मामले में मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी–धारा 216(5)।

समन क्या हैं?

न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सभी पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर देने के साथ ही ऐसे गवाहों को न्यायालय में बुलाकर उनका कथन लिया जाए, जिससे न्याय में सुविधा हो। उन गवाहों को न्यायालय में बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है। यानी न्यायालय द्वारा गवाहों को हाजिर होने हेतु एक पत्र भेजा जाता है, जिसमें हाजिर होने का स्थान और तारीख लिखी होती है।

समन मिलने के बाद व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होना जरूरी है। यदि वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय पुलिस को यह आदेश दे सकता है कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर वारंट जारी कर उसे न्यायालय में पेश किया जाए।

न्यायालय द्वारा लिखित में दो प्रतियों में समन जारी किया जाता है। इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे हाजिर होने के लिए कहा गया है। दूसरी प्रति पर उस व्यक्ति के प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय में जमा किया जाएगा, जिसे समन भेजा गया है। समन पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और न्यायालय की सील लगी होती है। समन में उस प्रकरण का भी उल्लेख किया जाता है, जिसकें संबंध में समन जारी किया गया है। समन न्यायालय का कोई कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी द्वारा उस व्यक्ति के पते पर जाकर उसे दिया जाता है (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 एवं 62)।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 69 के अनुसार गवाहों को समन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।

न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारण

न्यायालय द्वारा सुनवाई की यह पहली तारीख होगी। इसमें आरोपी को न्यायालय में बुंलाया जाएगा। इसमें न्यायाधीश आरोपी पर लगे आरोपों के बारे में बताएंगे और पूछेंगे कि क्या उस पर लगे आरोप उसे स्वीकार हैं?इस समय आरोपी के सामने दो विकल्प होंगे। या तो वह अपने आरोप स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यदि आरोपी अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लेता हैं तो कानून के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। यदि आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को अस्वीकार करता हैं तो विचारण (मुकदमें की प्रक्रिया) शुरू की जाएगी और सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227, 228 एवं 229)।

फरियादी (पीड़ित) के बयान

आरोप निर्धारण के बाद न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख में फरियादी को न्यायालय में बुलाया जाएगा और उसे घटना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा जाएगा। इसे मुख्य कथन कहा जाता है। फरियादी पक्ष के मुख्य कथन पर आरोपी के वकील द्वारा उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसे ''प्रति परीक्षण'' या 'जिरह'' कहा जाता है। फरियादी (पीड़ित) द्वारा अदालत में कही गई बातों को वहां उपस्थित क्लर्क द्वारा लिखा जाएगा ।

फरियादी के गवाहों के बयान

न्यायालय द्वारा फरियादी के गवाहों को न्यायालय में बुलाया जाएगा और उनके बयान लिए जाएंगे। गवाह यदि अधिक संख्या में हो तो उन्हें अलग – अलग तारीखों में बुलाया जाएगा। फरियादी के गवाह के तौर पर प्रकरण की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों, मेडिकल जांच या पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर को भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। फरियादी के गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर आरोपी के वकील द्वारा क्रास किया जा सकता है यानी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस दौरान भी आरोपी को न्यायालय में हाजिर रहना होगा (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 230 एवं 231)।

न्यायालय द्वारा प्रश्न तैयार करना

फरियादी और उसके गवाहों के बयान के बाद जो बातें उभरती है, उनके आधार पर न्यायाधीश प्रश्न तैयार करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर या स्पष्टीकरण अगली सुनवाई में आरोपी से पूछे जाएंगे।

आरोपी कथन

फरियादी पक्ष के गवाहों के बयान पूरे होने के बाद सुनवाई की अगली तारीख में आरोपी के बयान लिए जाएंगे, जिसे ''आरोपी कथन'' कहा जाता है। न्यायाधीश द्वारा फरियादी व उसके गवाहों के बयान से उभरे प्रश्नों के जवाब आरोपी से पूछे जाएंगे। अंत में न्यायाधीश द्वारा आरोपी से यह पूछ जाएगा कि ''क्या आप अपने बचाव में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं।'' यदि आरोपी या उसका वकील गवाह पेश करना चाहते है। तो सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी।

कानूनी सहायता

यदि आरोपी अपना वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो उसे यह बात अदालत में पेश होते समय न्यायधीश को बतानी होगी। न्यायाधीश द्वारा विधिक सहायता के माध्यम से उसके लिए वकील की व्यवस्था की जाएगी।

प्रत्येक न्यायालय में विधिक सहायता का एक कार्यालय होता है, जहां विधिक सहायता अधिकारी बैठते हैं। आरोपी को वहां एक आवदेन देना होता है। विधिक सहायता अधिकारी को इस बात का भरोसा हो जाए कि आरोपी अपना वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो उसकी ओर से एक वकील नियुक्त किया जाएगा। इस वकील की फीस विधिक सहायता द्वारा दी जाएगी।

आरोपी (बचाव पक्ष) के गवाहों के बयान

आरोपी कथन के बाद सुनवाई की अगली तारीख में आरोपी के गवाहों को अदालत में हाजिर होना होगा। यदि गवाह अधिक संख्या में है तो उन्हें अलग–अलग तारीखों में बुलाया जा सकता है। आरोपी को अपने गवाहों को लाने की व्यवस्था खुद करनी होगी।

यदि आरोपी यह चाहता है कि उसके कुछ गवाहों को सीधे न्यायालय द्वारा बुलाया जाए, तो आरोपी को उनके नाम पते की सूची के साथ उनका यात्रा भत्ता न्यायालय में जमा करवाना पड़ता है। यह भत्ता जमा करवाने के बाद न्यायालय उन्हें समन जारी करके तय की गई तारीख को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है। उन गवाहों को न्यायालय में उस तारीख को उपस्थित होना पड़ता है और न्यायालय से उन्हें आने–जाने का यात्रा व्यय दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें न्यायालय में उपस्थित क्लर्क को एक यात्रा भत्ता पत्रक भरकर देना होता है। यह भत्ता उन्हें उसी समय नकद दिए जाने का नियम हैं।

आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहों द्वारा न्यायालय में अपने बयान दिए जाते हैं। वहा उपस्थित क्लर्क द्वारा उन बयानों को लिखा जाता है। इस दौरान लोक अभियोजक को गवाहों से सवाल पूछने यानी जिरह करने का अवसर दिया जाता है (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 233)।

अंतिम बहस

उक्त प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षो को बुलाया जाएगा। इस दौरान आरोपी को अदलत में हाजिर होना जरूरी है। फरियादी के लिए अदालत में आना उसकी इच्छा पर निर्भर है। किन्तु दोनों पक्षों के वकीलों को आदलत में उपस्थित होना जरूरी है। इस दौरान दोनों पक्षो ंके गवाहों तथा उन्हें जिरह करने के दौरान सामने आए बिन्दुओं के आधार पर अदालत में बहस होगी। इस बहस के बाद न्यायाधीश फैसला सुनाने की तारीख तय करेंगे (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 234)।

फैसला

न्यायालय द्वारा दी गई तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों एवं आरोपियों ंको अदालत में हाजिर होना जरूरी है। फरियादी (पीड़ित) चाहे तो खुद भी अदालत में उपस्थित हो सकते हैं –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(1)।

सजा का निर्धारण

यदि आरोपी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें कितनी सजा दी जाए, इस बारे में सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अपनी–अपनी दलील देंगे। आरोपी के वकील कम से कम

सजा दिए जाने की पैरवी कर सकते हैं। दलील सुनने के बाद अदालत सजा सुनाए जाने की तारीख तय करेगी और उस तारीख को सजा सुनाई जाएगी –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2)।

यदि आरोपी को तीन साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो आरोपी या उसके वकील द्वारा अपील करने के लिए स्टे लिया जा सकता है और न्यायाधीश के समक्ष जमानत की अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायाधीश चाहे तो उसी समय आरोपी को जमानत पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद आरोपी द्वारा निश्चित अवधि के अंदर अगली अदालत में अपील की जा सकती है। यदि आरोपी को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गई तो आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा तथा अपील करने पर उसे जमानत के लिए अलग से अर्जी देनी होगी।

आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रियाः एक नजर में

चरण	न्यायालय में क्या होता है?	न्यायालय में किसे हाजिर होना जरूरी है?
1	लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।	लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी आरोपी
2.	न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारण	आरोपी आरोपी के वकील लोक अभियोजक
3.	फरियादी (पीड़ित) के बयान	फरियादी (पीड़ित) आरोपी आरोपी के वकील लोक अभियोजक
4	फरियादी के गवाहों के बयान	फरियादी के गवाह आरोपी लोक अभियोजक अरोपी के वकील
5.	आरोपी कथन (फरियादी और उसके गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश द्वारा प्रश्न तैयार किए जाएं। इन प्रश्नों के जवाब या स्पष्टीकरण आरोपी से पूछे जाएंगे)	आरोपी आरोपी के वकील लोक अभियोजक

6.	आरोपी के गवाहों के बयान और लोक अभियोजक द्वारा क्रास किया जाएगा।	आरोपी के गवाह लोक अभियोजक आरोपी का वकील
7.	अंतिम बहस (दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा बहस की जाएगी) ।	आरोपी के वकील लोक अभियोजक आरोपी
8.	न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। (यदि आरोप सिद्ध हो गए हो तो सजा के बारे में दोनों पक्षों द्वारा अपनी–अपनी दलील दी जाएगी)।	आरोपी के वकील लोक अभियोजक आरोपी
9.	सजा सुनाना (आरोप साबित होने पर)	आरोपी आरोपी का वकील लोक अभियोजक

अध्याय - 5

दीवानी मामलों में न्याय प्रक्रिया

कई मामले स्पष्ट तौर पर अपराध से अलग होते हैं। ये मामले सम्पत्ति, विवाह व परिवार, जमीन–जायजाद, समझौते व अनुबंध का उल्लंघन आदि से संबंधित होते हैं। इन मामलों को सिविल या दीवानी मामले कहा जाता है। ये मामले सिविल न्यायालयों में चलाए जाते हैं और इनमें न्यायिक प्रक्रिया आपराधिक मामलों से अलग होती है। सिविल न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया चलाने के लिए ''सिविल प्रक्रिया संहिता 1908'' के नाम से एक कानून बनाया गया है। इस कानून में दी गई बातों के अनुसार ही सिविल मामलों के न्यायालय काम करते हैं। जिस तरह आपराधिक मामलों में नीचे के स्तर से लेकर जिला, राज्य एवं देश के स्तर तक विभिन्न न्यायालय स्थापित है, उसी तरह सिविल मामलों के लिए विभिन्न न्यायालय स्थापित है।

सिविल न्यायालयों के प्रकार

सिविल न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार स्पष्ट रूप से बंटा हुआ हैं। इन मामलों में दावा लगाने के लिए विवादित ''सम्पत्ति के मूल्य'' तथा सम्पत्ति के स्थित होने के ''स्थान'' के आधार पर न्यायालय का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विवादित सम्पत्ति ''सालमपुर'' नामक तहसील से जुड़े किसी गांव में स्थित है और उसका मूल्य 30 हजार रूपए है तो उसका दावा सालमपुर तहसील के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 की अदालत में लगाया जाएगा। यानी सम्पत्ति जिस तहसील में स्थित है, उस

तहसील की अदालत में दावा लगाया जा सकता है। किन्तु यदि इस सम्पत्ति का मूल्य 50 हजार रूपए से अधिक है तो इसका दावा उसी जिले में जिला न्यायालय में ही लगाया जा सकता हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से 19)।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2	यह न्यायालय तहसील स्तर पर स्थापित है। इसमें 25000 रू से कम मूल्य के मुकदमें लगाए जा सकते है।
2.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1	यह न्यायालय भी तहसील स्तर स्तर तक स्थापित है। इसमें 25000 रू. या उससे अधिक तथा 50000 रूपये से कम मूल्य तक के मुकदमें लगाए जा सकते हैं।
3	जिला न्यायाधीश	एक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। यह आमतौर पर जिला मुख्यालय पर होता है। इस न्यायालय में 50000 रूपए व इससे अधिक असीमित मूल्य की सम्पत्ति के विवाद की सुनवाई की जा सकती है। जिला न्यायालय के पास प्रकरण ज्यादा होने पर वह कुछ प्रकरणो को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में भेज सकता है।
4.	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	जिला न्यायालय के साथ ही एक जिले में कई ''अतिरिक्त जिला न्यायाधीश'' के न्यायालय भी होते हैं। जो दावे जिला न्यायालय में जाते हैं, जिला न्यायालय उसमें से कुछ मामलों को इस अदालत में भेज सकता है।

सिविल (दीवानी) मामलों में दावा लगाने का तरीका

जिस तरह आपराधिक मामलों में न्याय की प्रक्रिया एफ.आई.आर. दर्ज करवाने से शुरू होती है, उस तरह सिविल मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई पड़ती हैं। इसमें फरियादी को सीधे न्यायालय में दावा लगाना पड़ता है। इसमें दावा लगाने वालों को ''**वादी**'' कहते है और जिनके खिलाफ दावा लगाया गया है, उन्हें ''**प्रतिवादी**'' कहते हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 4ख नियम 1)।

प्रतिवादी को नोटिस भेजना

सिविल मामलों में दावा लगाने से पहले प्रतिवादी को वादी (दावा लगाने वाले) द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में वादी जो चाहता है, वह मांग प्रतिवादी से करता है और उसके लिए एक

निश्चित समय सीमा तय करता है। वादी द्वारा इस नोटिस में यह लिखा जाता है कि ''यदि प्रतिवादी ने निश्चित समयावधि में वादी की मांग पूरी नहीं की तो वह उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करेगा।'' यह नोटिस वादी खुद भेज सकता है या उसका वकील भेज सकता है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है, जिसमें प्राप्ति की सूचना के लिए ए.डी. लगानी चाहिए, ताकि प्राप्त करने वाले के प्राप्ति हस्ताक्षर एवं प्राप्ति तारीख भेजने वाले को ए.डी. द्वारा मिल सकें। नोटिस प्राप्त करने के बाद यदि प्रतिवादी द्वारा वादी की मांग पूरी कर दी जाती है तो दावा नहीं लगाया जाएगा और यदि प्रतिवादी द्वारा मांग पूरी नहीं की जाती है तो वादी समय सीमा पूरी होने के बाद न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 5, निमय 1)।

वाद पत्र तैयार करना

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, सिविल मामलों के लिए न्याय पानें लिए व्यक्ति को कोर्ट में दावा लगाना पड़ता है। दावा लगाने के लिए उसे अपने दावे के बारे पूरी बातें लिखनी पड़ती है, जैसे कि वह किस चीज का दावा कर रहा है?उसका मूल्य क्या है?दावा क्यों कर रहा है?विवाद का कारण क्या है?आदि। वाद पत्र दावा लगाने वाला खुद भी लिख सकता है या उसका वकील भी लिख सकता है। वाद पत्र के साथ अपने दावे से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 के नियम 1 में वाद पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसके अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए

1. **न्यायालय का नाम** – सबसे पहले उस न्यायालय का नाम लिखा जाता है, जहां वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. **वादी–प्रतिवादी का विवरण** – इसके बाद वादी (जिसके द्वारा दावा लगाया जा रहा है) तथा प्रतिवादी (जिसके विरूद्ध दावा लगाया जा रहा है), का पूरा नाम, उम्र, एवं निवास का पता लिखा जाता हैं।
3. **वाद संख्या एवं सन्** – इसके बाद वाद संख्या और सन् का कॉलम होता है, जिसे खाली रखा जाता है। न्यायालय द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने के बाद यहां वाद संख्या (प्रकरण क्रमांक) और सन् लिखा जाता है।
4. **वाद की प्रकृति** – दावा किस तरह का है?यानी दावा का विषय क्या है, यह एक या दो लाईन में लिखा जाता है। जैसे दवा उधारी वसूली, चैक वाउंस, जमीन विवाद आदि किसके बारे में है?यह लिखा जाता है।
5. **तथ्य** – दावे से संबंधित तथ्य स्पष्ट रूप से बिन्दुवार लिखे जाते हैं।
6. **वाद कारण** – विवाद किस कारण उत्पन्न हुआ? यानी वाद का कारण संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।

7. **न्यायालय की अधिकारिता** – उस न्यायालय में ही यह दावा क्यों लगाया जा रहा है?यानी उसके क्षेत्राधिकार के बारे में लिखा जाता है।

8. **वाद का मूल्यांकन** – यदि दावा रूपये या सम्पत्ति के संबंध मे ंहै तो उसका मूल्य कितना है?और कितने का दावा लगाया जा रहा है?इस बारे में लिखा जाता है।

9. **न्यायालय शुल्क** – सिविल मामलो में दावा लगाने के लिए न्यायालय में कुछ शुल्क जमा करना पड़ता है। यह शुल्क उस राशि के अनुपात में होता है, जिसके लिए दावा लगाया जाता है। वाद पत्र में न्यायालय में जमा करवाए जाने वाले इस शुल्क का विवरण भी लिखा जाता है। वाद पत्र स्वीकार कर लिए जाने के बाद वादी द्वारा यह शुल्क जमा करवाया जाता है।

10. **अनुतोष** – वादी क्या फैसला चाहता है?उसकी अपेक्षा बिन्दुवार लिखी जाती है।

11. **हस्ताक्षर एवं दिनांक** – अंत में वादी द्वारा तथा वादी के वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और तारीख लिखी जाती है।

12. **सत्यापन** – वाद पत्र में लिखे गए सभी बिन्दु सत्य है, यह बात लिखी जाती है और उस पर वादी द्वारा व वादी के वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

13. **शपथ पत्र** – वादी जो भी तथ्य देता है, उन तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र लगाया जाता है।

(वाद पत्र को और ज़्यादा सरलता से समझने के लिए देखे परिशिष्ट – 3)

वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना

वाद पत्र तैयार करने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। यह वाद पत्र किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, यह मामले की प्रकृति और उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता हैं।

न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करते समय उनकी अतिरिक्त प्रतियां भी साथ में पेश करें, जितने प्रतिवादी हैं।

न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस

वाद पत्र प्राप्त होने के बाद न्यायाधीश द्वारा वाद पत्र प़ढ़कर दावे का परीक्षण किया जाता हैं और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता। नोटिस के साथ में ही वाद पत्र की प्रति भी प्रतिवादी को भेजी जाती है।

प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा

प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा

न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया जाता है। जवाबदावा में वादी द्वारा वाद पत्र में लिखी गई बातों का बिन्दुवार जवाब दिया जाता है। वाद पत्र और जवाबदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु तय किए जाते हैं और उसके बाद गवाहों की सूची पेश करने की तारीख तय की जाती है।

वादी के गवाहों के बयान

न्यायाधीश द्वारा वाद बिन्दु तैयार करने के बाद वादी पक्ष के गवाहों के बयान होंगे। वादी के गवाह या तो न्यायालय में आकर खुद अपने बयान पेश कर सकते हैं या वे अपने बयान पहले से शपथ पत्र के रूप में लिखकर दे सकते हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश क्रमांक 18, नियम 4 के अनुसार)। इसके लिए न्यायालय में शपथ आयुक्त के सक्षम शपथ पत्र पर गवाहों को हस्ताक्षर करने होंगे। वादी पक्ष की ओर से सभी शपथ पत्रों एवं सभी दस्तावेज न्यायालय में पेश करने के साथ ही प्रतिवादी या उसके वकील को भी उसकी प्रतियां देनी होगी। प्रतिवादी के वकील द्वारा वादी पक्ष के बयानों पर उनके गवाहों से सवाल पूछने यानी क्रास करने का अवसर दिया जाएगा।

प्रतिवादी के गवाहों के बयान

वादी के गवाहों के बयान के बाद प्रतिवादी को अपने गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। प्रतिवादी अपने गवाहों को या तो न्यायाधीश के समक्ष खुद प्रस्तुत करें या सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 18, नियम 4 के अनुसार न्यायालय में शपथ आयुक्त के समक्ष गवाहों को प्रस्तुत कर शपथ पत्र में उनके बयान लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवादी द्वारा सभी गवाहों के शपथ पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उनकी प्रतियां वादी या उसके वकील को दी जाएगी।

अंतिम बहस

वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के बयानों के बाद अंतिम बहस की तारीख न्यायालय द्वारा तय की जाएगी। तय की गई तारीख को दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा बहस की जाएगी। यह बहस अब तक उस मामले में उभरे बिन्दुओं के आधार पर होगी।

फैसला

अंतिम बहस के बाद न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख तय की जाएगी और निर्धारित तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने के बाद अपील के लिए निर्धारित अविध तक यदि किसी पक्ष ने अपील नही की या उनकी अपील स्वीकार नही की गई तो फैसले का क्रियान्वयन किया जाएगा।

सिविल मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रमुख चरण

चरण	किए जाने वाले कार्य
1	वादी द्वारा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
2.	न्यायालय द्वारा वाद पत्र का परीक्षण कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता है।
3.	प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जवाबदावा पेश किया जाता है।
4	न्यायालय द्वारा जवाबदावा पढ़ने के बाद **"वाद बिन्दु"** तैयार किए जाते हैं और सुनवाई की तारीख तय की जाती है।
5.	वादी के गवाहों के बयान होते हैं तथा प्रतिवादी के वकील द्वारा क्रास किया जाता है।
6.	प्रतिवादी के गवाहों के बयान होते हैं और वादी के वकील द्वारा क्रास किया जाता है।
7.	अंतिम बहस (दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अदालत में बहस की जाती है)।
8	न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया जाता है।

अपील

आपराधिक एवं सिविल दोनों प्रकार के प्रकरणों में अपील का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के बाद यदि किसी पक्ष को यह लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह उस फैसले के विरुद्ध उसके ऊपर वाले न्यायालय में अपील कर सकता है।

आपराधिक मामलों में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी द्वारा दिए गए फैसलों की अपील सत्र न्यायालय में की जाती है। इसी तरह अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।

सिविल मामलों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं वर्ग 2 द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जाती है। जिला न्यायालय एवं अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।

परिशिष्ट - 1

आपराधिक एवं सिविल मामले के प्रमुख बिन्दु			
क्र.	**प्रक्रिया**	**आपराधिक मामले**	**सिविल (दीवानी) मामले**
1.	न्यायिक प्रक्रिया की शुरूआत	एफ.आई.आर दर्ज करवाने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है।	न्याय पाने के लिए व्यक्ति (वादी) को खुद न्यायालय में एक वाद पत्र दाखिल करना होता है।
2.	फरियादी	इसमें न्याय पाने वाले को **पीड़ित** कहा जाता है।	इसमें न्याय पाने वाले (दावा लगाने वाले) को **वादी** कहा जाता है।
3.	जिसके खिलाफ दावा लगाया गया है।	जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, उसे **''आरोपी''** कहा जाता है।	इसमें जिनके खिलाफ दावा लगाया गया है उन्हें **''प्रतिवादी''** कहा जाता है।
4.	गिरफ्तारी	इसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है और जमानत की प्रक्रिया होती है।	इसमें प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
5.	राजीनामा या आपसी सुलह	कुछ मामलों को छोड़कर आमातौर पर राजीनामा नहीं किया जा सकता।	सभी तरह के सिविल मामलों में वादी और प्रतिवादी आपस में राजीनामा या सुलह कर सकते हैं।
6.	वकील	इसमें फरियादी को अपना वकील नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। उसकी तरफ से लोक अभियोजक पैरवी करते हैं। जबकि आरोपी द्वारा अपना वकील नियुक्त किया जाता है।	इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों को ही अपना वकील नियुक्त कर सकते हैं। इसमें लोक अभियोजक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।

स्टे या निषेधाज्ञा : किसी फैसले के क्रियान्वयन या किसी मामले में किसी क्रियान्वयन को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा स्टे दिया जाता है। इसे हिन्दी में निषेधाज्ञा कहा जाता है। जिस मामले में न्यायाधीश द्वारा स्टे दिया जाता है उस मामले में फैसला आने तक वही स्थिति बनाई रखी जाएगी, जो स्टे देने के समय थी। यानी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी तथा यह स्थिति न्यायालय द्वारा फैसले देने तक बनी रहती है।

परिशिष्ट - 2

प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ	
शब्दावली	**अर्थ**
फरियादी	जिस व्यक्ति के साथ अपराध या अत्याचार होता है, उसे फरियादी या पीड़ित कहा जाता है।
आरोपी	जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी जिसके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की गई है, उसे आरोपी कहा जाता है।
बयान	न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गवाही के तौर पर घटित घटना के बारे में एवं उससे जुड़े व्यक्तियों के बारे में बताने को बयान कहा जाता है।
बचाव पक्ष	आरोपी को बचाव पक्ष माना जाता है। आरोपी के वकील को बचाव पक्ष का वकील कहा जाता है।
बचाव साक्षी	आरोपी के गवाहों को बचाव साक्षी कहा जाता है।
अभियोजन पक्ष	फरियादी को अभियोजन पक्ष कहा जाता है।
जमानतदार	जो व्यक्ति आरोपी की जमानत लेता है उसे जमानतदार कहा जाता है।
आरोपी कथन	फरियादी एवं उसके गवाहों के बयान से उभरे प्रश्नों के जवाब न्यायाधीश द्वारा अदालत में आरोपी से पूछे जाते है। आरोपी द्वारा दिए गए जवाब को आरोपी कथन कहा जाता है।
क्रास या प्रति परीक्षण करना	न्यायालय में बयान के दौरान किसी गवाह द्वारा दिए गए बयान पर वकील द्वारा सवाल पूछे जाते हैं तो उसे क्रास करना या प्रति परीक्षण करना कहा जाता है।
संज्ञेय अपराध	गंभीर प्रकृति के अपराध को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
असंज्ञेय अपराध	सामान्य प्रकृति के अपराध को असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। असंज्ञेय अपराध में आरोपी को पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
विचारण (ट्रायल)	किसी भी प्रकरण पर सुनवाई की प्रक्रिया को विचारण कहते हैं। इसे अंग्रेली में ''ट्रायल'' कहा जाता है।
वादी	सिविल मामलों में दावा लगाने वाले को वादी कहा जाता है।
प्रतिवादी	सिविल मामलों में जिनके खिलाफ दावा लगाया गया है, उन्हें प्रतिवादी कहा जाता है।
वाद पत्र	सिविल मामलो में वादी द्वारा अपना दावा लिखकर पेश किया जाता है। इसी दावे को वाद पत्र कहा जाता है।
जवाबदावा	सिविल मामलो में प्रतिवादी को न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद उसके द्वारा उस नोटिस का जवाब दिया जाता है। उसे जवाबदावा कहा जाता है।

परिशिष्ट - 3

वाद पत्र का प्रारूप

सेवा में,

मानननीय न्यायालय .... ।

....

(जिला................) .... प्रदेश।

नाम ....पिता का नाम ....

उम्र................ निवासी .... (वादी)

विरूद्ध

नाम ....पिता का नाम ....

उम्र................ निवासी .... (प्रतिवादी)

(नोट – प्रतिवादी एक से अधिक भी हो सकते हैं)

वाद संख्या .... सन् ....

यह वाद .... के लिए हैं।

(तथ्य)

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

(वाद कारण)

यह वाद ....

.... के कारण उत्पन्न हुआ।

(क्षेत्राधिकार)

यह वाद स्थान .... पर उत्पन्न होने के कारण माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में तथा .... राशि का दावा होने के कारण माननीय न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

(वाद का मूल्यांकन)

इस वाद के अंतर्गत कुल .... की राशि या इतने मूल्य की सम्पत्ति का दावा किया जा रहा है।

(न्यायालय शुल्क)

उक्त वाद मूल्यांकन के अनुसार न्यायालय शुल्क रूपए .... के साथ यह वाद पत्र प्रस्तुत है।

(अनुतोष)

माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वादी को प्रतिवादी की ओर से निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किए जाने का आदेश जारी करें :–

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर (वादी) ....

हस्ताक्षर (वादी के वकील)...........................

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस वाद पत्र में क्रमांक ....लगायत .... तक दी गई समस्त जानकारियां मेंरे निजी ज्ञान और विश्वास से सत्य है तथा क्रमांक ....लगायत .... तक दी गई जानकारी विधिक होने से मेरे विधिक सलाहकार के अनुसार सत्य है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर (वादी) ....

हस्ताक्षर (वादी के वकील) ....

शपथ पत्र

मै शपथ पूवर्क कथन करता हूं कि :–

नाम ....पिता का नाम ....

उम्र .... निवासी ....

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर शपथगृहिता

....

परिशिष्ट - 4

न्यायालय परिसर

न्यायालय यानी कोर्ट का नाम आते ही हमारे मन में एक बहुत सारे लोगों व उनके समूहों का एक चित्र आता है। काले कोट पहने हुए कई वकील, कहीं टेबल लगाए तो कहीं गुमटी कें बैठे टायपिस्ट, स्टाम्प बेचने वालो के साथ दूर दराज से आए लोगों की भीड़ वहां होती है। न्याय व्यवस्था में इन सभी की अपनी–अपनी भूमिकाएं होती है। इसके साथ ही न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के साथ ही कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते है, जो न्याय प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं।

वकील – न्यायालय में कई वकील होते हैं, जो अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करते हैं।

नोटरी – वकीलों में से ही कुछ वकीलों को राज्य सरकार द्वारा नोटरी बनाया जाता है। शपथ पत्र, एग्रीमेंट, किरायानामा, वसीयतनामा, आदि कई दस्तावेजों पर नोटरी के सामने दस्तखत किए जाने को कानूनी मान्यता दी गई। नोटरी उस दस्तावेज पर यह प्रमाणित करता है कि यह हस्ताक्षर उनके सामने किए गए है। साथ ही वह उसकी एक प्रति भी अपने पास रखता है और हस्ताक्षर करने वाले का विवरण एक रजिस्टर में लिखता है तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले के हस्ताक्षर रजिस्टर में करवाता है। इस प्रकार उस दस्तावेज को नोटराईज्ड दस्तावेज कहा जाता है। यदि उस दस्तावेज को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो तो नोटरी यह प्रमााणित कर सकता है कि उस पर सबंधित व्यक्ति ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।

शपथ आयुक्त – कुछ अनुभवी (वरिष्ठ) वकीलों को शपथ आयुक्त बनाया जाता है। वह न्यायलय में पेश होने वाली शपथ पत्रो को तस्दीक (प्रमाणित) करते है। यह जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।

स्टाम्प वेंडर – कई कानून कार्यवाहियों जैसे अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री, किरायानामा, वसीयतनामा, दान पत्र, अनुबंध (एग्रीमेंट) आदि के लिए सरकार द्वारा फीस ली जाती है। यह फीस स्टाम्प के रूप में ली जाती है। सरकार अलग–अलग मूल्यों के स्टाम्प छपवाकर उन्हें बेचने के लिए ''स्टाम्प वेंडर'' को जारी करती हैं। स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प बेचने के बदले में कमीशन प्राप्त होता है। इसकी नियुक्ति पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी द्वारा की जाती है। न्यायालय परिसर में कई स्टाम्प वेडर भी होते हैं।

दस्तावेज लेखक एवं टायपिस्ट – न्यायालय परिसर में टाईप मशीन के साथ कई दस्तावेज लेखक भी दिखाई देते हैं। जिन लोगों को टाईपराईटिंग आती है और जिन्हें कानूनी दस्तावेज लिखने

का कुछ अनुभव होता है उन्हें एस.डी.एम. द्वारा अनुज्ञप्ति (लायसेंस) जारी कर न्यायालय परिसर में बैठने की अनुमति दी जाती है। इनकी फीस का निर्धारण समय समय पर एस.डी.एम. द्वारा जारी विज्ञप्ति के माध्यम से किया जाता है।

न्यायालय के अंदर

न्यायालय परिसर के बाद आता न्यायालय भवन। सम्पूर्ण न्याय प्रक्रिया यही पूरी की जाती है। यहां न्यायाधीश के साथ ही अन्य कई कर्मचारी व अधिकारी होते हैं।

न्यायाधीश – हर न्यायाधीश का अपना न्यायालय होता है, जिसमें मामलो ंकी सुनवाई की जाती है।

रीडर – न्यायालय भवन में न्यायाधीश की सहायता के लिए रीडर होता है, जिसे पेशकार भी कहा जाता है। न्यायालय कार्यालय में होने वाली समस्त कार्यवाहियों को पत्रावलियों में लिखने का काम रीडर करता है।

स्टेनो – यह न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले फैसले एवं आदेश को लिखकर उन्हें टाईप कर न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है।

हककारा (मुंशी) – वादी, प्रतिवादी, गवाह, वकील, जिनको न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है, उन्हें आवाज लगाकर बुलाने का काम हककार (मुंशी) द्वारा किया जाता है।

न्यायाधीश का कार्यालय

न्यायाधीश का कार्यालय कोर्ट के चेम्बर में होता है। वहां तीन क्लर्क होते हैं, जो प्रतिदिन की पत्रावलियों को निकालने का कार्य करते हैं। यहां एक रजिस्टर में प्रत्येक कार्यवाहीं व पत्रावलियों की तारीख लिखी जाती है एव पत्रावलियों पर फैसला होने पर वह उन्हें रिकॉर्ड रूम (दाखिल दफ्तर) में भेजा जाता है।

रिकॉर्ड रूम (दाखिल दफ्तर)

हर न्यायालय में एक रिकॉर्ड रूम होता है, जिसे दाखिल दफ्तर भी कहा जाता है। इसमें न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की प्रतियां रखी जाती है। साथ ही जिला न्यायालय के दाखिल दफ्तर में जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों की प्रतियां रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति आवेदन देकर इन फैसलों नकल प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निश्चित फीस जमा करनी होती है। जिस दाखिल दफ्तर से नकल प्राप्त करनी है वहां के न्यायाधीश के नाम एक आवेदन देना पड़ता है और वहां के लिपिक या पदस्थ कर्मचारी को राशि जमा करवाकर उसकी रसीद लेनी होती है।

टूवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग (ताल) के अन्य प्रकाशन

1. मार्गदर्शिका : आजीविका संवर्धन के लिये समन्वय कैसे प्राप्त करें
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार योजना 4 पोस्टरों की श्रंखला : योजना, कौन से कार्य किये जा सकते हैं, सामाजिक अंकेक्षण (2)
3. सोयाबीन की कृषि कार्यमाला
4. संकलन : कानून और अधिकारों पर जन जागृति की सामग्री; नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य, मोटर यान दुर्घटना में क्षतिपूर्ति, भूमि संबंधि विवाद और उनका निबटारा
5. खाद बेचने–खरीदने के नियम कायदे, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 पर केन्द्रित सरल पुस्तिका
6. जल अभिशासन, तवा सिंचाई प्रणाली की एक केस अध्ययन
7. कैसे होता है न्याय, न्यायालय की प्रक्रिया पर केन्द्रित पुस्तिका (यू.एन.डी.पी. द्वारा सहयोग प्राप्त)
8. पुलिस से सम्बन्धित कुछ बातें (यू.एन.डी.पी.द्वारा सहयोग प्राप्त)
9. दलित एवं आदिवासी समुदाय को कानूनी सुरक्षा (यू.एन.डी.पी.द्वारा सहयोग प्राप्त)

टूवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग (ताल)

ताल एक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था है जिसका उद्देश्य समुदाय और संस्थाओं में सीखने और कार्य करने की प्रक्रिया का विकास करना है। वह समुदायों के साथ सीधे काम करती है तथा शोध के माध्यम से जानकारी और ज्ञान का प्रबन्धन भी करती है। ताल के कार्य का बड़ा भाग समुदाय और संस्थाओं में क्षमता विकास का है और वह संवाद के माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित भी करती है।

वर्तमान में ताल का कार्य मध्यप्रदेश के धार, बुरहानपुर और शिवपुरी जिलों में चल रहा है।

टूवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग (ताल)

ए–23, बी.डी.ए. कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल–462016

दूरभाष : 0755–2422920, 4287138

ई–मेल : taal@taalindia.org

रजिस्टर्ड ऑफिस :

टूवर्ड्स एक्शन एण्ड लर्निंग (ताल)

ई–4/9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016